(136)

भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–11838 दिनांक–21.11.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.12.2014 में मद संख्या–14 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

14.	श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित को प्रमाणित आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्तगी" के दंड की स्वीकृति के संबंध में।	14. स्वीकृत।

4/12

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
02/12/14

4.12.14

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0-11/निग(सहरसा) 03/11-01.....1271.....पटना, दिनांक 22.12.14

अधिसूचना

श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित के भवन प्रमंडल, सहरसा पदस्थापनकाल में निगरानी थाना दल द्वारा 24000.00 (चौबीस हजार)रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप निगरानी थाना कांड संख्या-026/2009 दिनांक 21.03.09 दर्ज किया गया। एतद् संबंधी आरोप निगरानी विभाग के पत्रांक एस0आर0-026/2009 निग0-422/अप0 शा0 दिनांक 25.03.2009 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3608 दिनांक 21.05.2009 द्वारा अभियुक्त के जेल जाने की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) एवं 9(1)(ग) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2009 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

2. विशेष न्यायालय, पटना में जमानत हेतु दायर याचिका संख्या-13/09 में दिनांक 21.05.2009 को न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने पर श्री शर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2009 एवं दिनांक 03.06.09 के समीक्षोपरान्त उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की धारा 9(3)(1) एवं उप नियम-2 के अन्तर्गत योगदान की तिथि दिनांक 22.05.2009 से अधिसूचना संख्या-8637(भ0) सहपठित ज्ञापांक 8638(भ0) दिनांक 08.10.2009 के द्वारा योगदान स्वीकृत किया गया। पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के धारा 9(3)(ii) उपनियम-1 के प्रावधानों के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक 22.05.2009 के अपराह्न से अधिसूचना संख्या-8632(भ0) सहपठित ज्ञापांक 8633(भ0) दिनांक 08.10.2009 के द्वारा निलंबित किया गया। पथ निर्माण विभाग के द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर विधि विभाग के आदेश संख्या-4981/जे0 दिनांक 09.12.2009 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' दिनांक 26.12.2009 गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5753(भ0) अनु0 दिनांक 29.07.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचलित की गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-285 सी0डी0ई0 दिनांक 02.04.2012 के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की धारा-18(1) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9673(भ0) दिनांक 30.11.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही विस्तारित की गई। विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-07/एस0सी0 दिनांक 04.02.2014 के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पुलिस अधीक्षक-सह-धावा दल प्रभारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जाँच प्रतिवेदन में अंकित विश्लेषण के पाँच बिन्दुओं पर असहमति जताई गयी, और श्री शर्मा से विभागीय पत्रांक 5817(भ0)अनु0 दिनांक 03.06.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक 6783(भ0) दिनांक 30.06.2014 द्वारा एक सप्ताह में द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित करने हेतु स्मारित कराया गया। श्री शर्मा द्वारा समर्पित

11/12/14 2013 SANTOSH\Desktop\New folder

द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक शून्य दिनांक 07.07.2014 के सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि निगरानी धावा दल की कार्रवाई में भले ही कतिपय तकनीकी खामियां है परन्तु इसमें आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया तथा गिरफ्तार किया गया के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य है।

4. प्रमाणित (रिश्वत लेना) आरोप गंभीर प्रकृति का होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 उप नियम (xi) के तहत श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए **सेवा से बर्खास्त** करने का दंड देने का निर्णय लिया गया।

5. विभागीय पत्रांक 8786(भ0) दिनांक 22.08.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1818 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

6. तदोपरांत श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध निगरानी धावा दल द्वारा 24000/-(चौबीस हजार)रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं कदाचार के प्रमाणित आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार **सेवा से बर्खास्त** किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतएव श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित को प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नलिखित दंड संसूचित किया जाता है।

(i) तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.12.14

(अशोक कुमार सुमन)
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक- 22.12.14

ज्ञापांक- 12958 (भ)

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयाक्तिक दावा निर्धारिण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/ पटना (विश्वेश्वरैया भवन) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.12.14

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक- 22.12.14

ज्ञापांक- 12958 (भ)

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेबसाइट (website) पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

17.12.14

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 12958 (a) पटना, दिनांक- 22.12.14

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार,पटना/प्रधान सचिब, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित शाखा/लेखा शाखा/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.12.14
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 12958 (a) पटना, दिनांक- 22.12.14

प्रतिलिपि-महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/आरक्षी उप महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.12.14
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 12958 (a) पटना, दिनांक- 22.12.14

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 1818 दिनांक 05.11.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.12.14
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 12958 (a) पटना, दिनांक- 22.12.14

प्रतिलिपि-श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1818 दिनांक 05.11.2014 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनु0-यथोक्त।

22.12.14
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 12958 (a) पटना, दिनांक- 22.12.14

प्रतिलिपि-सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना वं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.12.14
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
विशेष कार्य पदाधिकारी-
सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।